न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/01/2013

हरीशचन्द पुत्र कुमरपाल सिंह जाति जाट निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत गादौली हसनपुर पंचायत समिति नदबई द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गादौली हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादी मूल

2. थानसिंह ┐ पिसरान कुमरपालसिंह
3. दिगम्बरसिंह ┘
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र उमरावसिंह
5. भूपालसिंह पुत्र नानगा
6. हेमेन्द्रसिंह पुत्र दलवीरसिंह
7. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दलवीरसिंह
8. देवीराम पुत्र गंगाधरसिंह
9. मिट्ठनसिंह पुत्र गंगाधरसिंह

जातियान जाट निवासियान हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

.....उत्तरवादी तरतीवी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई दिनांक 06.02.2013 अन्तर्गत अपील शीर्षक देवीराम आदि बनाम ग्राम पंचायत प्रकरण कमांक 5038/92

उपस्थित :–

1–श्री महाराजसिंह डागुर अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 02.11.2021**

प्रार्थी ने यह निगरानी विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य की पेश की संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गादौली (हसनपुर) तहसील नदबई के द्वारा की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 09.11.2011 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई ने खारिज किये जाने का आदेश दिया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विवादित खसरा नम्बर 802/0.04, 804/0.05 स्थित ग्राम

गादौली (हसनपुर) तहसील नदबई में प्रार्थी व उत्तरवादीगण संख्या 02 लगायत 09 के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की पुश्तैनी आवादी की भूमि है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को उनके विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र व शक्तियों प्राप्त नहीं है, इस प्रकार तहत न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण व निरस्तनीय है। प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण के द्वारा सक्षम न्यायालय में असल रेसपो0 01 के विरूद्व सिविल वाद दायर किया हुआ है, जिसमें स्थगन खारिज हो जाने पर निगरानीकर्त्ता द्वारा अपील/निगरानी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में की हुई है जो कि जैरकार है व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण व निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण ने विधिवत रूप से अपील प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण सुनवाई कर अन्तिम रूप से निर्धारण करना था। इस प्रकार सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश के निर्णय के आधार पर जारी शुदा स्थगन आदेश वापिस लेने व खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। तहत न्यायालय ने विचाराधीन अपील को वापिस लौटाने का आदेश दिया जो कि कतई न्यायोचित आदेश नहीं है क्योकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नही जिसमें अपील को स्वीकार या खारिज करना अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ग्राम पंचायत उत्तरवादी संख्या 01 ने पूर्व में दिनांक 22.05.1989 को उक्त खसरा नम्बर को निगरानीकर्त्ता व तरतीवी उत्तरवादी के पूर्वजों के हक में आबादी में बदल जाने का सर्वसम्मति से पारित किया है। इस प्रकार विवादित खसरा नम्बर स्वीकृत रूप से प्रार्थी व उत्तरवादीगण तरतीवी के गैत/नौहरे बने हुये है, जिस पर लकडी, भूसा बुर्ज आदि बने हुये है। अधीनस्थ न्यायालय स्पीकिंग आदेश नही है व विचाराधीन अपील में क्या आदेश पारित किया गया है, का कोई उल्लेख नही होने के कारण आदेश पूर्ण रूपेण गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है व सुनवाई का कोई अवसार प्रदान नही किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अन्त में निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश 06.02.2013 को निरस्त किये जाने व अपील को गुणावगुणों के आधार पर निर्णित किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान अभिभाषक की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि ग्राम पंवायत गादौली (हसनपुर) तहसील नदबई के द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 09.11.2011 के विरूद्व प्रस्तुत अपील को तहत न्यायालय विकास अधिकारी नदबई द्वारा खारिज किये जाने का आदेश दिया गया है। विवादित खसरा नम्बर 802/0.04, 804/0.05 वाके ग्राम गादौली (हसनपुर) तहसील नदबई में प्रार्थी व उत्तरवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की पुश्तैनी आबादी की भूमि है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को उनके विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र व शक्तियों प्राप्त नहीं है। प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण के द्वारा सक्षम न्यायालय में असल रेसपो0 1 के विरूद्व सिविल वाद दायर किया हुआ है जिसमें स्थगन खारिज हो जाने पर निगरानी मा0राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण ने विधि अनुरूप अपील प्रस्तुत की गई थी व सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश के निर्णय के आधार पर जारी शुदा स्थगन आदेश वापिस लेने व खण्डनाधीश आदेश देने में भारी त्रुटि की है। न्यायालय द्वारा अपील वापिस

लौटाकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 22.05.1989 को उक्त खसरा नम्बर को प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण के पूर्वजों के हक में आबादी में बदले जाने का आदेश पारित किया है जो कि विवादित आराजी स्वीकृत रूप से हमारी स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पत्ति है। जिस पर गैत/नोहरे बने है व ईधन विटोरा आदि रखे हुये तथा पेड भी लगे हुये है। अधीनस्थ न्यायालय का स्पीकिंग आदेश नही है जो कि पूर्णरूपेण गैरकानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। न्यायालय का उक्त आदेश प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है जो कि प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है व काबिज खारिजी है। इस परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों ए आई आर 1990 एस सी 1402, डी एन जे 2013, आर आर डी 1984 पेज 45 वखूबी चस्पा होते है। माननीय सिविल अति0 जिला न्यायाधीश संख्या 02 भरतपुर में वाद संख्या 09/2012 में प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण स01 के विरूद्व निर्णय डिक्री द्वारा वादग्रस्त गैत/नौहरे से निगरानीकर्त्ता को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नही करने का पारित किया गया है। विवादित भूखण्डों को पुराना रकबा मानते हुये ग्राम पंचायत गादौली ने दिनांक 19.12.2014 को पुराने ग्रहो का विनियमितीकरण का पटटा धारा 157 राज0पंचा0 राज0 नियमन के अन्तर्गत निगरानीकर्त्ता को जारी किया गया है। इस वजह से प्रार्थी व तरतीवी उत्तरवादीगण विवादित आराजी के मालिक काबिज है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई के आदेश दिनांक 06.02.2013 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी स0 01 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेन्टेनेविल नही है। धारा 97 (ए) राज0 पंचायत एक्ट के तहत पंचायत समिति के आदेश दिनांक 06.02.2013 के विरूद्व 30 दिन के अन्दर जिला परिषद में अपील की जा सकती थी जो कि न्यायालय को श्रवण करने का अधिकार नही है। खसरा नम्बर 802 व 804 ग्राम गादौली(हसनपुर) का वर्तमान में लैण्ड होल्डर तहसीलदार नदबई है, जो कि राजस्व रिकार्ड में राज0 सरकार अंकित दर्ज है। जो कि उक्त खसरा नम्बरान का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नही हो सकता है और स्वामित्व बाबत निगरानीकर्त्ता ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थी ने जो वाद मा0 सिविल न्यायाधीश नदबई के न्यायालय में प्रस्तुत किया था वह भी न्यायालय ए.डी.जे संख्या 02 भरतपुर से खारिज हुआ था जिसमें विवादित खसरा नम्बरान का स्वामित्व प्रार्थी को नही माना था तथा विधिक कब्जा भी निगरानीकारान का नही माना है जो कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2014 के विपरीत है। निगरानीकर्त्ता ने निगरानी ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व नही की गई है जो कि पोषणीय नही है। विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई ने जो स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2012 को दिया था उसे मान0 ए.डी.जे संख्या 02 के निर्णय दिनांक 08.10.2012 के आधार पर प्रत्याहारित किया है, जिसके विरूद्व कोई अपील चलने योग्य नही है। दिनांक 22.05.1989 को निगरानीकार को खसरा नम्बरान की आराजी बाबत इनके पक्ष में आवादी में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव पारित नही किया गया था। अपितु गैर मुमकिन आबादी राजस्व अभिलेख में भूमि के अंकन को आबादी में बदलने का प्रस्ताव लिया गया था। राज्य सरकार के आदेशानुसार गैर मुमकिन आबादी की भूमि पर राज0 ग्राम पंचायत नियम 157 के तहत

पट्टा देने का अधिकार नही है इसके बावजूद भी सरकार भूमि का फर्जी पट्टा दिनांक 19.12.2014 को मान0 न्यायालय ए.डी.जे संख्या 02 भरतपुर में उनवानी प्रकरण हरीशचन्द बनाम राज0 सरकार अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 10/2012 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 व डिक्री दिनांक 17.07.2014 तथा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 21.12.2011 एवं पंचायत समिति नदबई के आदेश दिनांक 06.02.2013 से पट्टे बाबत् कोई कार्यवाही का कोई विवरण नही है। जिस सचिव के हस्ताक्षर पट्टे पर है वह दिनांक 19.12.2014 को ग्राम पंचायत गादौली पर पदस्थापित ही नही था अपितु वह ग्राम पंचायत हन्तरा में सचिव के पद पर कार्यरत था। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्त्ता ने अवैध व फर्जी पट्टा बनाकर न्यायालय को धोखे में रखना चाहता है तथा सरकार व ग्राम पंचायत को नाजायज नुकसान पहुंचाकर लाभ लेना चाहते है। विवादित खसरा नम्बरान में होकर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रण कर रास्ते का अवरूद्व करना चाहते है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी स0 1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि, अनियमतता व विधि अनुकूल तथा अभिलेखों के अनुसार सही है। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्रांम पंचायत गादौली (हसनपुर) ने गैर मुमकिन आबादी भूमि खसरा नम्बर 802/0.04 व 804/0.05 वाके ग्राम गादौली (हसनपुर) में प्रार्थी व उत्तरवादीगण संख्या 02 लगायत 09 को विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई द्वारा दिनांक 06.02.2013 को जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2012 को प्रत्याहारित करते हुये प्रकरण को सबंधित अतिक्रमण सबंधी पत्रावली ग्राम पंचायत गादौली को लौटाते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का मुख्य बिन्दु है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या –2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.10.2012 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसकी पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई द्वारा दिनांक 20.11.2012 को ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 09.11.2011 पर आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई गई है व दिनांक 06.02.2013 को पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2012 को प्रत्याहारित कर प्रकरण में पत्रावली ग्राम पंचायत गादौली को लौटाते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने हेतू निर्देशित किया गया है। निगरानीकर्त्ता व उत्तरवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर में दीवानी वाद संख्या 09/2012 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को "वादग्रस्त गैत/नौहरे से प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नही कर सकेगे उन्हे सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान कर सकेगे" का निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा उक्त विचाराधीन आदेश बिना किसी साक्ष्य सबूत लिये व विधिक सुनवाई के पारित किया गया है जो कि तार्किक नही कहां जा सकता है। उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण होने से समर्थन योग्य नही है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का निगरानी अंशिक स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई का आदेश दिनांक 06.02.2013 अपास्त किया जाता है। पत्रावली विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई को इस निर्देश के साथ रिगाण्ड की जाती है कि वे प्रकरण विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निणर्य आज दिनांक 02.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर